कार्यालय जिलाधिकारी गाजीपुर।

पत्रांक 117 /13—आपदा/ —राहत सामग्री /2018—19 दिनांक 16 मई,2018

ई—अल्पकालीन निविदा

सचिव एवं राहत आयुक्त ,उत्तर प्रदेश शासन ,राजस्व अनुभाग —10 लखनऊ के शासनादेश संख्या 1157/एक—10—2018—रा0—10 दिनांक 2 मई,2018 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 7—5—2018 द्वारा वर्ष 2018 में सम्भावित बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री के वितरण हेतु शासनादेश संख्या 950 / 1 — 11 — 2017 —14 (जी) / 2017 दिनांक 21 अगस्त ,2017 के दिये गये निर्देशानुसार निम्न सामग्री आपूर्ति किये जाने हेतु अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जाती है— सामग्री का विवरण निम्नवत है:—

कमांक	पैकेट में सम्मिलित सामग्री		प्रति पैकेट मूल्य
1	2		3
1	आटा	10 किग्रा0	
2	चावल	10 किग्रा0	
3	आलू	10 किग्रा0	
4	लाई	05 किग्रा0	
5	भूना चना	02 किग्रा0	
6	अरहर की दाल	02 किग्रा0	
7	नमक	500 ग्राम	
8	हल्दी	250 ग्राम	
9	मिर्च	250 ग्राम	
10	धनिया	250 ग्राम	
11	मोमबत्ती	1 पैकेट	
12	मचिस	1 पैकेट	
13	बिस्कुट(मेरी गोल्ड)	10 पैकेट	
14	रिफाइन्ड तेल	01 लीटर	

निविदा कार्यालय जिलाधिकारी गाजीपुर में दिनांक 24—05—2018 को अपरान्ह 2:00 बजे तक स्वीकार की जायेगी, जो दिनांक 24 मई, 2018 को समय 4:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय गाजीपुर में कय समिति के समक्ष खोली जायेगी तकनीकी विड में पात्र निविदादाता की फाइनेंसियल विड उसके बाद खोली जायेगी । निविदा की अन्य शर्ते व नियम विस्तृत रूप से वेवसाइट http:// etender.up.nic.in पर एवं http:// ghazipur. nic.in पर देखी जा सकती है।

अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)
गाजीपुर।

प्रतिलिपि —निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव एवं राहत आयुक्त,उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग—10 लखनऊ।

2— जिला सूचना अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि निविदा का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक आज में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद गाजीपुर की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4—समस्त तहसीलदार जनपद गाजीपुर को इस आशय से कि उक्त निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5—नाजिर सदर कलेक्ट्रेट गाजीपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

16.5.18

अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)
गाजीपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजीपुर।

पत्रांक 117 /13–आपदा/ –राहत सामग्री /2018–19 दिनांक 16 मई,2018

निविदा के नियम व शर्ते

1– यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेवसाइट http:// etender.up.nic.in पर एवं http://ghazipur . nic .in पर उपलब्ध है।

2– खाद्यान्न आपूर्ति पंजीकरण प्रमाण पत्र ,वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त TIN /G.S.T. प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्षो के बैलेन्सशीट/आई0टी0आर0 सभी प्रपत्रों की छाया प्रति आनलाईन उपल्ध करानी होगी।

3– निविदा खाले जाने के समय निविदादाओं द्वारा तकनीकी विड (समस्त प्रपत्र) के लिफाफे के साथ–साथ आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न का एक सैट/सेम्पल समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा,जिससे समिति द्वारा गुणवत्ता पर विचार किया जा सकें।

4– निविदा स्वीकृत होने पर वर्ष 2018 में बाढ़ आने की स्थिति में फर्म /संस्था को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 24 घण्टे के अन्दर खाद्यान्न की आपूर्ति करनी होगी । फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

5– निविदा/आपूर्ति में पात्र ठेकेदार से इस आशय का एक घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा उक्त आपूर्ति को सबलैट(किसी अन्य के माध्यम से) नहीं किया जायेगां

6– फर्मदाता को ग्राम स्तर तक खाद्य सामग्री स्वयं के खर्च पर पहुँचाना होगा। कार्यालय द्वारा अलग से खर्च नहीं दिया जायेगा।

7– वर्ष 2018 में बाढ़ आने की दशा में कार्यालय द्वारा जारी आदेश के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर लगभग 40 हजार पैकेट राहत सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। पैकेटों की संख्या घट बढ़ सकती है।

8– निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में भुगतान होने पर नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

9– निविदा प्रकिया हेतु निविदादाताओं द्वारा अपने से संबंधित सामान्य जानकारी रू0 100.00 का नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। PAN/TAN NO/ TIN/G.S.T. नम्बर अंकित किया जाय।

10– आपूर्तिकर्ता फर्म को खाद्यान्न सामग्री बॉटने का विगत तीन वर्षो में किसी भी एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

11– प्रभावित परिवारों को दी जाने वाले सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर दिया जाना होगा, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सामग्री सुरक्षित रहे।

12– विवाद की स्थिति में माननीय न्यायालय गाजीपुर में वाद विचाराधीन होगें।

13– बिना कारण बताये निविदा जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा निरस्त की जा सकती है।

14– किसी अन्य जानकारी के लिए आपदा कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

16.5.18

अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)
गाजीपुर।

जमा करने की अन्तिम तिथि 24–05–2018 को अपरान्ह 2 बजे तक स्थान जिलाधिकारी कार्यालीय गाजीपुर

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गाजीपुर

टेक्निकल बिड

1– निविदादाता का नाम..

2– निविदादाता फर्म का पूरा पता..

3– फोन/मोबाईल नम्बर..

4– पंजीयन संख्या...
(TAN NO/ TIN/G.S.T.) नम्बर अंकित किया जाय।

5– पंजीयन का दिनांक...

6– फर्म की स्थिति...प्रोपराइटर्स या पार्टनरशिप

7– निविदादाता फर्म के प्रोपराइर्टर/पार्टनर्स का नाम..

8– निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/ का पैन नम्बर व नाम...

(घोषणा पत्र)

मै घोषणा करता हूँ कि मैने जिलाधिकारी कार्यालय गाजीपुर द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अधी निविदा फार्म में निर्धारित शर्तो का भली भॉति अध्ययन कर लिया है। और उक्त में उल्लिखित नियम व शर्तो को पूर्ण रूपेण पालन करने के लिये कटिबद्ध हूँ। यदि कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाता है तथा मे निविदा शर्ते के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो मेरी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है,जो मुझे पूर्णतया मान्य होगा।

संलग्नक–

स्थान–

तिथि–

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व मुहर

नोट– ब्यापार कर /जी0एस0टी0पंजीयन/टिन नम्बर/पैन नम्बर की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।